रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन विषय:-एवं अन्य ।

कृपया श्री प्रवीण नेवास्कर, शासकीय अधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। याचिकाकर्ता दवारा आदेश दिनांक 16.06.2014 के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 दायर की है। प्रकरण याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को निरस्त कर उनके मूल विभाग में वापस किए जाने के संबंध में है। याचिका की प्रति अप्राप्त है।

प्रकरण में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र. शासन दुग्ध संघ भोपाल, मु.का.अ. जिला पंचायत गुना एवं मु.का.अ. जिला पंचायत शिवपुरी को प्रतिवादी बनाया है।

अतः प्रकरण में जवाबदावा प्रस्त्त करने हेत् प्रभारी अधिकारी निय्क्त किया जाना उचित होगा। तदानुसार प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने हेत् निर्णय लेना

चाहेंगे।

D:\Kanchan D16\New Writ petition notesheet.doc

पक्र

191021

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से....
पूर्व पृष्ठ पर स्वित्व महोः के अनुमोदन अनुसार्
मुरःभकार्याणलं अधिकारी, जिला पेचायत गुना को प्रभारी स्विधकारी
निमुद्धत किये जाने हेतु आदेश का प्राकृप अनुने हस्ता, अनुन है।

उप (विद्य)

ये व्यव्यातीन विविव

J. C. Kaw)

13 1 23/02/16

16/2/16

Gilds

रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य । पूर्व पृष्ठ से.... विभागीम आहेरा क. 2359 दिनांक 19-2- 2016 द्वारा उपरोधत पकाण में CEOZP गुना के प्रभारी अधिया भी निमुवत विज्ञमा जामा है । अतिरक्षन आहें जारी करेन व्यास विभाग की भेरिकत काला याहें 34.311. Brajesh Deptt. दारा उपरोद्धत प्रकरता में CEO2P गुना की प्रभारी अखिकारी निम्रदन किया गमा है। प्रतिरद्भाग आहेरा जारी करने हेत नस्ती विध्य-विभाग के क्षेंगीकत करना चोहंगे 21. 311 Vale 34 chi219 प्रविक भागवादिक Dy. Secy. (law) D:\Kanchan D16\New Writ petition notesheet.doc उस/पं.एवं गा.वि.ब्रि.

9.66

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा 16 (विधि प्रकोधः) स्प्हायक-- श्रीमती क्षेथन मोहनानी १.अधी -- श्री आर एस. सक्सेना प्रभारी अधि का नाम-श्री राजेन्द् सिंह

विषय:-	रिट पि एवं अ	क्र ा.	3769/20)14 শ্ব	ो राजकुम	गर जैन	एवं ३	अन्य 1	विरुद्ध	म.प्र.	शासन
पूर्व पृष्ठ से	Ì.,										





कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सिटीसेंटर, ग्वालियर OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,

MADHYA PRADESH, HIGH COURT GWALIOR

प्रति.

प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. जिला पंचायत जिला गुना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 3. जिला पंचायत जिला शिवपुरी

डब्ल्यू.पी. कं. 3769/2014 राजकुमार जैन आदि वि० म.प्र. शासन एवं अन्य विषय:-

उपरोक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 16.06.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्तागणों की नियुक्तियों को निरस्त कर उनके मूल विभाग में वापिस किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01. 2016 को सुनवाई हेतु नियत होने पर प्रकरण में जवाब प्रस्तुति की कार्यवाही किये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय अंतिम रूप से प्रदान किया गया है।

कृपया प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर मय अभिलेख के इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे होने वाले किसी विपरीत आदेश से बचा जा सके।

शासकीय अधिवक्ता

(प्रवीण नेवास्कर)

Cafeer some on aller

THE PARTY NAMED AND POST OF

Case Status | High Court of Madhya Pradesh

[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]

(10. After Week)

Statutory Info.

[FOR Admn. f.R. (Entered on : 23-01-2016)]

Bench

Single Bench

File Location

Case recieved by Record Room Pending (Writ) from M.P Ahirwal MP on 28-01-

2016

Scanning Info

The Judgment/Order has NOT been Scanned ..!

Category

SERVICE RELATING TO STATE GOVT.-17100

Deputation-17127

Deputation-17127

Act

A PETITION FILED UNDER ARTICLE 226 AND/OR 227 OF CONSTITUTION

Petitioner(s)

1 RAJ KUMAR JAIN S/D/W/Thru: - SHRI K.C.JAIN

SERVICEW ZILA PANCHAYAT, Shivpuri, MADHYA PRADESH

2 SUNIL KUMAR JAIN S/D/W/Thru:- LTE BABULAL JAIN

SERVICE POSTED AS TECHNICAL ASSISTANT IN ZILA PANCHAYAT GUNA

Guna : MADHYA PRADESH

Respondent(s)

1 THE STATE OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SECRETARY DEPT. OF PANCHAYAT AND RURAL

DEVELOPMENT VALLABH BHAWAN , Bhopal , MADHYA PRADESH

2 THE MANAGING DIRECTOR, M.P. STATE COOPERATIVE DUGDH

FEDERATION

BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH

3 THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PANCHAYAT

GUNA, Guna, MADHYA PRADESH

4 THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PANCHAYAT SHIVPURI

SHIVPURI, Shivpun, MADHYA PRADESH

Pet. Advocate(s)

DHARMENDRA SINGH RAGHUWANSHI

AJAY BHARGAVA[P-1]

NARENDRA SINGH KIRAR[P-1]

HIMANSHU SHARMA[P-1]


Resp. Advocate(s) ADVOCATE GENERAL

VIVEK JAIN[R-2]

NAROTTAM SHARMA[R-2]

http://mphc.in/case-status 2/3





High Court of Madhya Pradesh

١.	CHART OF A BANK A	THAY BUT STORY TO CO	(a)(1)8	ভাগ ভাল	[
Hon'ble Judges	Bench at Gwe	:3°		Chan	ge Bench Gwalior ▼				
Portfolio Judges Committees	Case Number	— Party Name Co	unsel Name	District	Court				
Registry Officers Administrative	Crime No./Yea	r							
Setup Circulars / Orders	WP ▼ 376	9 '2014 ▼ SHO							
Transfer / Posting Recruitment / Result	Details Earlier Court								
Legal Services Judges Roster	Connected								
Tenders e-Courts	ذُ Listing ا.A.								
Information Journal	Documents 3								
Child Custody	Notices J								
Juvenile Justice	Defaults]								
State Judicial Academy	Judgement/Orders								
Judicial Training	Adjustments 🖁								
Right to	Mention Mema !								
Information	Restoration 3								
Case Statistics	Registration Date	25-06-2014			Pending				
FAQ	Case Detail	WRIT PETITION (WP) 3769	/2014		_				
Feedback &	DA Name	M.P Ahirwal [WP-DA-6] [C							
Suggestions	First Entry Clerk	Filing Clerk 1 On 25-06-201	14 12:44:49						
Click Here to	Last Updated By	CR2 RDR On 22-01-2016	05:20:32						
submit your	Last Listed On	22-01-2016 [HON'BL	E SHRI JUSTIC	CE RAVI S	HANKAR JHA]				
eedback about	Last Order List After (4)-Ord dt22/01/2016								
mphc.gov.in. Let us	Tentative date								
know how we can	Update On	22-02-2016 [SB (proposed pool-I)] UPDATE							
	Status								
	Stage	Motion Hearing							

http://mphc.in/case-status



मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

॥ आदेश ॥

क्रमांक। 2359 122/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 9/02/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
 - वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
 - घ. मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारिख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्त्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विर्निष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राष्ट्र प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्दध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय दवारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्द्ओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विर्निदिष्टि दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयाविध में न्यायालय के निर्देशों का पालन स्निश्चित करायेगा।

(एस.आर. चौधरी)

ा उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./²³⁶⁰/22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 9/02/2016

प्रतिलिपि:-१मितः १ स्महाधिवक्ता, जनसमुद्दं, म.प्र. ।

- 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग म.प्र.I
- 4. कलेक्टर, जिला गुना म.प्र.।
- 5. प्रभारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता से आगामी कार्यवाही हेत् सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तृत कर शासन को भेजने हेत् अग्रेषित।

010

vol पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग